संख्या-03/2016/846/86-2016-187/2014

प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2016

विषय- निदेशालय के चतुर्थ कर्मचारी संघ कक्ष का जीर्णोद्धार, तथा पम्प हाऊस के अन्दर बाहर प्लास्टार एवं पुताई, प्रांगण में पूरब साईड की ओर 2 फिट बागवानी हेतु प्लास्टर सहित दीवार लघु निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3415/अनुरक्षण/2015-16, दिनांक 29.02.2016 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के लेखाशीर्षक'' 4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एक मुश्त व्यवस्था-25-लघु निर्माण कार्य की मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 लाख के सापेक्ष निम्न कार्य हेतु 04.99 लाख (रूपये चार लाख निन्यानबे हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है :-

(धनराशि रूपये में)

क्र0 स0	स्वीकृत कार्य योजना	कार्यदायी संस्था जिसे धनराशि आवंटित की जानी है।	स्वीकृत/ अवमुक्त की जा रही धनराशि (रूपये में)
1	निदेशालय के चतुर्थ कर्मचारी संघ कक्ष का जीर्णोद्धार, तथा पम्प हाऊस के अन्दर बाहर प्लास्टार एवं पुताई, प्रांगण में पूरब साईड की ओर 2 फिट बागवानी हेतु प्लास्टर सहित दीवार लघु निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में	यू0पी0प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	4,99,000/-

उक्त धनराशि निम्न शर्तो के तहत आहरित/व्यय की जायेगी।

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर इसी वित्तीय वर्ष में व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक में नही रखी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म यह सुनिश्चित करेगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत तो नहीं की गयी है तथा यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित तो नहीं है।

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म का होगा।

2. उपरोक्त कार्यों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के लेखाशीर्षक'' 4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खनिजच अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एक मुश्त व्यवस्था-25-लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2014, दिनांक 30.05.2015 के प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- /86-2016, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग) उ0प्र0 कानपुर।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2 एवं 3
(7) वित्त (लेखा) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in